राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 56/2025

परमवीर यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, कोटपूतली–बहरोड़।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशोरपुरा बानसुर जिला कोटपूतली बहरोड़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.01.2025
आदेश की दिनांक : 27.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलौच्य आदेश दिनांक 6.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर वर्तमान पदस्थापित विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशोरपुरा ब्लॉक बानसुर जिला कोटपूतली–बहरोड से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुढा ब्लॉक बानसुर जिला कोटपूतली–बहरोड में बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये स्थानांतरण किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश को जारी सूची में अपीलार्थी का नाम क.सं. 50 पर नाम अंकित है। (अनुलग्नक–1) उक्त आलौच्य आदेश की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आदेश दिनांक 24.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। (अनुलग्नक–2) प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 6.12.2024 अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.11.2024 की पालना में पारित किया गया है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 273 के तहत जिला परिषद अलवर की जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के पश्चात् आदेश दिनांक 10.9.2012 के द्वारा अध्यापक ग्रेड ।।। लेवल द्वितीय विषय सामाजिक विज्ञान के पद पर हुई है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कर लिया है। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की वर्तमान कार्यरत स्कूल को उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक

में क्रमोन्नत किये जाने के कारण अपीलार्थी को अधिशेष किया जाकर अन्य स्कूल में स्थानांतरण /पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक किशोरपुरा में अध्यापक ग्रेड ।।। लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान के पद पर कार्यरत है और उक्त विद्यालय में अपीलार्थी के अलावा अध्यापक ग्रेड ।।। लेवल द्वितीय सामाजिक विज्ञान के पद पर अन्य कोई अध्यापक कार्यरत नहीं है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी को अधिशेष किया गया है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 14 11.2024 को जारी दिशा–निर्देश में स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि पदों का सृजन विभागीय आदेश दिनांक 30.4.2015 के अनुसार किया जावेगा। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.4.2015 के अनुसार अध्यापक ग्रेड ।।। लेवल ।। विषय सामाजिक विज्ञान का पद स्वीकृत होना चाहिए लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलौच्य आदेश दिनांक 6.12.2024 के द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये प्रत्यर्थी विभाग के दिशा–निर्देशों की अवहेलना में अधिशेष किया गया है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 एव दिनांक 30.4.2015 के अनुसार अधिशेष है। इसलिए उक्त आलीच्य आदेश विभागीय दिशा–निर्देशों की अवहेलना में जारी किया गया है। आदेश दिनांक 30.04.2015 (अनुलग्नक–5) पर उपलब्ध है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा में अधिशेष नही है और विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार अध्यापक ग्रेड ।।। लेवल–।। विषय सामाजिक विज्ञान के पद पर कार्यरत अध्यापक को अधिशेष नहीं करने के आदेश दिए गए है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.11. 2024 की पालना में अधिशेष शिक्षकों को अन्यत्र स्कूलों में पदस्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं, और प्रत्यर्थी संख्या 3 ने उक्त अलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में जारी किया गया है प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 14.11.2024 के बिन्दु संख्या 15 (1 से (अ) में आस–पास की स्कूलों में रिक्त पदों में ही समायोजित करने के आदेश जारी किये गये हैं। अपीलार्थी के आस–पास अनेक स्कूलों में पद रिक्त होने के बावजूद भी अगीलार्थी को दुरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया है। इसलिए उक्त आलौच्य आदेश प्रत्यर्थी विभाग के दिशा–निर्देशों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आदेश दिनांक 6.12.2024 (अनुलग्नक–1) एवं आलौच्य कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा ब्लॉक बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड में अध्यापक ग्रेड iii लेवल 2 सामाजिक विज्ञान के पद पर निरतंर कार्यरत रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 14.11.2024 के अनुसरण में जारी किया गया है। उक्त पत्र

दिनांक 14.11.2024 में वर्णित किया गया है कि विभागीय आदेश दिनांक 30.04.2015 के अनुसार पदों का सृजन किया जावेगा तथा विभागीय आदेश दिनांक 30.04.2015 के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान) का पद सृजित होना चाहिए। इस सन्दर्भ में माननीय अधिकरण के समक्ष वर्णित किया जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त विभागीय आदेश दिनांक 30.04.2015 (अनुलग्नक–5) की पूर्ण पालना की गई है। अपीलार्थी कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि किशोरपुरा नवक्रमोन्नत विद्यालय (कला संकाय) है। उक्त विद्यालय में वर्तमान सत्र में कक्षा 12 संचालित नहीं है, वर्तमान सत्र में विद्यालय कक्षा–11 तक ही संचालित है। विभागीय आदेश दिनांक 30.04.2015 के बिन्दू संख्या 1.1.1 (1) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड में कला संकाय (संचालित कक्षा–12) होने पर अध्यापक लेवल–2 के 03 पद स्वीकृति योग्य होते है परन्तु राउमावि किशोरापुरा, बानसूर में कक्षा–12 संचालित नहीं होने के कारण अपीलार्थी को नियमानुसार पद सृजित नहीं होने के कारण अधिशेष किया गया है और अपीलार्थी कार्मिक को स्वीकृत पद पर नियमानुसार पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई कार्यवाही में राज्य सरकार/विभागीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। अतः अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी कार्मिक को स्वीकृत पद के अनुसार ही आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासनिक आवश्यकता में समान ब्लॉक में ही स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा वांछित अनुतोष के संबंध में माननीय अधिकरण के समक्ष स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि स्थानांतरण/समायोजन पूर्णतया प्रशासनिक कार्य है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति अपील (सिविल) 36717/2017 नम्रता वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 में निम्नानुसार अभिमत प्रदान करते हुए विशेष अनुमति याचिका को खारिज/अस्वीकार किया गया है :–

"It is not for the employee to insist to transfer him/her and/or not to transfer him/her at a particular place. It is for the employer to transfer an employee considering the requirement.

The Special Leave Petition is dismissed. "

(अनुलग्नक आर –2) अतः प्रस्तुत अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अभिगत के आधार पर ही खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर.1991 एस.सी.532) के निर्णय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer order are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is Liable to be transferred from one place to the other, Transfer orders issued by the compentent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer order is passed in violation of executive instructions or orders, the Courts ordinarily should not interfere with the order instead affected party should approach the higher authourities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer orders issued by the Government and its subordinate authourities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."

अतः प्रस्तुत अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस प्रकरण में पारित अभिमत के आधार पर भी खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी कार्मिक की सेवाएँ राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम–6 डी के तहत शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है तथा अपीलार्थी वर्तमान में शिक्षा विभाग का कार्मिक है तथा प्रत्यर्थीगण के मातहत कार्यरत है। अपीलार्थी कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि किशोरपुरा नवक्रमोन्नत विद्यालय (कला संकाय) है। उक्त विद्यालय में वर्तमान सत्र में कक्षा 12 संचालित नहीं है, वर्तमान सत्र में विद्यालय कक्षा–11 तक ही संचालित है। विभागीय आदेश दिनांक 30.04.2015 के बिन्दू संख्या 1.1.1 (1) कक्षा 1 से 12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु मानदण्ड में कला संकाय (संचालित कक्षा–12) होने पर अध्यापक लेवल–2 के 03 पद स्वीकृति योग्य होते है परन्तु राउमावि किशोरापुरा, बानसूर में कक्षा–12 संचालित नहीं होने के कारण अपीलार्थी को नियमानुसार पद सृजित नहीं होने के कारण अधिशेष किया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 14.11.2024 के बिन्दू संख्या 15 को पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपीलार्थी कार्मिक को उसके पदस्थापन ब्लाक बानसूर के ही रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी कार्मिक माननीय अधिकरण से किसी प्रकार को कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.12.2024 को चुनौती दी गई है। इसके द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष होने के आधार पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशोरपुरा ब्लॉक बानसुर जिला कोटपूतली–बहरोड से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुढा ब्लॉक बानसुर जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III लेवल–2 सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है। बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–3) की पालना में

अधिशेष घोषित कर अन्य विद्यालय में समायोजित किया गया है। अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय में अधिशेष नहीं है। विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 विषय सामाजिक विज्ञान के पद पर कार्यरत अध्यापक को अधिशेष नहीं करने के निर्देश जारी किए गए है। इसके संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश 30.04.2015 (अनुलग्नक–5) प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी के अलावा उक्त विद्यालय में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 सामाजिक विज्ञान का अन्य कोई अध्यापक कार्यरत नहीं है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी को अधिशेष किया गया है। साथ ही विभागीय दिशा–निर्देश 30.04.2015 के अनुसार अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 विषय सामाजिक विज्ञान का पद स्वीकृत होना चाहिए, जबकि प्रत्यर्थी विभाग के दिशा–निर्देशों की अवहेलना कर अपीलार्थी को अधिशेष किया गया है। उन्होने यह कथन रखा है कि दिनांक 14.11.2024 के बिंदू संख्या 15 में आस–पास रिक्त पदों में ही समायोजित किए जाने के आदेश है। अपीलार्थी को आस–पास में रिक्त पद होने के बावजूद दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अतः आलौच्य आदेश निरस्त कर अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा ब्लॉक बानसुर जिला कोटपूतली–बहरोड में पदस्थापित रखे जाने का निवेदन जारी किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत उसी ब्लॉक में स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया गया है। साथ ही विभागीय दिशा–निर्देश 30.04.2024 के बिंदू 1.1.1 (I) के अनुसार कक्षा 1–12 तक संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु मानदंड में कला संकाय होने पर अध्यापक लेवल 2 के 3 पद स्वीकृत होते है। परंतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा में कक्षा 12 संचालित नहीं होने के कारण पद सृजित नहीं होने के कारण अपीलार्थी को अधिशेष किया गया जो पूर्णतः नियमानुसार और विभागीय आदेशों के अनुसार है।

उभय पक्ष के तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.04.2015 के अनुसार एक संकाय वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10–12 का नामाकंन 120 तक, कक्षा 9–10 का नामांकन 120 तक कक्षा 6–8 का नामाकंन 105 तक और कक्षा 1–5 का नामाकंन 60 तक होने पर शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के मानदंड निर्धारित किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा में कला संकाय संचालित है एवं विद्यालय में 12वीं कक्षा संचालित नहीं है। पदों के मानदंड छात्र संख्या के नामाकंन के आधार पर तय किया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशोरपुरा में छात्रों के नामाकंन की क्या स्थिति एवं विद्यालय में कक्षावार अध्ययनरत छात्रों की संख्या के संबंध में भी कोई अंकन नहीं किया है, जिसके अभाव में यह तय करना असंभव है कि दिनांक 30.04.2015 द्वारा जारी मानदंड लागू होते है अथवा नहीं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब

के अनुसार उक्त विद्यालय में कक्षा 11 तक कला संकाय संचालित है और अपीलार्थी को स्वीकृत पदों के अभाव में अधिशेष होने के कारण उसी ब्लॉक में समायोजित किया गया है। अतः अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि उसे गलत रूप से अधिशेष किया गया है। साथ ही अपीलार्थी का यह कथन कि, विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार अध्यापक ग्रेड III लेवल II के पद पर कार्यरत शिक्षकों को अधिशेष नहीं करने के आदेश दिए गये है, भी गलत एवं मिथ्या होने से मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थी ने ऐसे किसी विभागीय दिशा–निर्देश पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए है। अपीलार्थी का यह कथन कि, निकट के विद्यालयों में पद रिक्त होने के बावजूद उसे दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किया है, भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थी की तरफ से निकट के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों का कोई विवरण पेश नहीं किया है। अपीलार्थी की 6 (डी) होने के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार आलौच्य आदेश जारी करना पाया जाता है। अतः यह अपील बिना किसी आधार के प्रस्तुत किए जाने एवं मिथ्या तथ्यों का अकंन करने के आधार पर 1000/– रूपये की कोस्ट पर खारिज की जाती है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आदेश से 10 दिवस में जमा कराई जाकर उसकी रसीद रजिस्टार अधिकरण को प्रस्तुत करे। रजिस्टार अधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि इसकी पालना सुनिश्चित करने के बाद पत्रावली जमा रिकार्ड की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य